न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी, मुकाम निम्बाहेडा राज0

पीठासिन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0,

प्रकरण सं0 134 / 2022 आर0ओ0
जीसीएमएस आईडी– 2022 / 332

श्री मुकेश कुमार पिता भैरूलाल जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी माध्याखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
– प्रार्थी

/ /बनाम/ /

राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा
– विपक्षी

धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

/ /निर्णय/ /

दिनांक 24.08.2022

प्रार्थी की और से:– अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली, उपस्थित
विपक्षीगण की और से:– पैरोकार सरकार उपस्थित

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया कि ग्रम साकरीया तहसील निम्बाहेडा में खाता स0 42 के आराजी न0 660 रकबा 0.0700 हेक्टयर व आराजी न0 661 रकबा 0.1100 हेक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1800 हेक्टयर कुल लगानी 0.900 रूपये स्थित है उक्त कृषि आराजीयात के पूराने आरजी न0 443 मीन थे उक्त आराजीयात को विपक्षी के अधिनस्थ कर्मिको एवं सेटलमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम कर दिया है एवं त्रुटीवश प्रार्थी की आराजी को उसकी भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित रास्ते के बाद नवीन राजस्व नक्शे में पैमुद कर दिया है जबकी प्रार्थी लम्बे समय से वक्त खरीद से ही उक्त मार्ग पर पूर्व की तरफ अपनी खातेदारी की 0.1800 हेक्टयर भूमि पर काबिज काश्त है प्रार्थी का अधिपत्य नवीन आराजी न0 664 को राजस्व नक्शे में जहा पैमुद कर रखा है में है आराजी न0 664 को राजस्व नक्शे में वर्तमान परिपेक्ष में जिस प्रकार दर्शा रखा है व उसके रकबे 0.0500 हेक्टयर से कही अधिक है प्रार्थी उक्त त्रुटी को दुरूस्त करने हेतु कई बार विपक्षी के समक्ष हाजीर हुआ परन्तु विपक्षी ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की जिस कारण उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पडा।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी द्वारा मय रिपोर्ट अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाब में विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थी के आराजी न0 660 व 661 रकबा 0.1800 हेक्टयर पर वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार अधिपत्य नही पाया प्रार्थी का अधिपत्य आराजी न0 664 के उत्तरी भाग पर राजस्व नक्शे में स्थित अनुसार पाया गया साथ ही आराजी न0 664 का क्षैत्रफल नक्शे अनुसार नपति करने पर 0.2300 हेक्टयर पाया गया जिस अनुसार खातेदार मुकेश नायक की कब्जे अनुसार तरमीम की जा सकती है बाबत पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ साबिक नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दीयां व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षी की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के कथनानुसार उसका अधिपत्य ग्राम साकरिया की आराजी न0 660 व 661 रकबा 0.1800 हेक्टयर पर नवीन राजस्व नक्शे अनुसार न होकर सडक के पूर्वी तरफ स्थित आराजी न0 664 के उत्तरी भाग पर है जिसे भू प्रबन्ध कर्मिकों द्वारा नवीन राजस्व नक्शे में गलत पैमुद किया गया प्रार्थी के इस कथन की ताईद तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी होती है साथ ही तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में आराजी न0 664 का वर्तमान राजस्व नक्शे में क्षैत्रफल भी नपति करने पर 0.2300 हेक्टयर बनता है जबकी राजस्व रेकार्ड में 0.0500 हेक्टयर ही है जो 0.1800 हेक्टयर दर्ज रकबे से अधिक है इस प्रकार प्रार्थी को कब्जे अनुसार आराजी न0 664 का रकबा 0.2300 हेक्टयर घोषित कर तरमीम किया जाना उचित है एवं इसी अनुसार ग्राम साकरिया की आराजी न0 656 रकबा 12.5100 हेक्टयर है चारागाह की क्षैत्रफल राजस्व नक्शे की नपति करने पर उसका रकबा 12.33 हैक्टयर बनता है जो जमाबन्दी में दर्ज रकबे से 0.1800 हेक्टयर कम है वादी की दर्ज खातेदारी आराजी न0 660 रकबा 0.0700 हेक्टयर एवं आराजी न0 661 रकबा 0.1100 हेक्टयर है कुल रकबा 0.1800 हेक्टयर है इन दोनों आराजीयात को चारागाह के रूप में दर्ज करने पर चारागाह का क्षैत्रफल पूर्ण हो जायेगा। आर्थत चारागाह आराजी न0 656 रकबा 12.5100 हेक्टयर का क्षैत्रफल 12.3300 हेक्टयर घोषित कर आराजी न0 660 रकबा 0.0700 हेक्टयर एवं आराजी न0 661 रकबा 0.1100 हेक्टयर चारागाह दर्ज करने पर कुल क्षैत्रफल बराबर किया जा सकता है साथ ही पटवार हल्का द्वारा बनाये गये पर्चे मोके पर आराजी न0 664 के खातेदार मदनलाल के भी हस्ताक्षर है एवं अन्य पडौसी मौतबिरान के भी हस्ताक्षर है जो प्रार्थी के आवेदन पत्र की ताईद करते है सुना गया। पुराने नक्शे में प्रार्थी की आराजीयात की तरमीम नहीं है जबकि नये नक्शे में कब्जे अनुसार तरमीम नहीं होना पाया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रूटीपूर्ण होकर संशोधन योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम साकरिया आराजी न0 656 रकबा 12.5100 हेक्टयर मेसे 0.1800 हेक्टयर कम कर उसका रकबा 12.33 हेक्टयर दर्ज करे साथ

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़

ही आराजी न0 664 जो वर्तमान में मदनलाल के नाम खातेदार में दर्ज है का रकबा 0.0500 हेक्टयर की जगह प्रार्थी का नाम भी उक्त खाते में दर्ज करते हुए रकबा 0.1800 हेक्टयर उक्त आराजी न0 664 का रकबा बढाते हुए 0.0500 हेक्टयर से 0.2300 हेक्टयर दर्ज किया जावें साथ ही आराजी न0 656 से लगी आराजी न0 660 व 661 जिसका कुलिया रकबा 0.1800 हेक्टयर है को चारागाह में दर्ज किया जावें तथा पटवार हल्का द्वारा संलग्न नक्शे अनुसार नवीन राजस्व नक्शे में परिर्वतन करते हुए प्रार्थी को नक्शे में वर्णित अनुसार स्थापित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा राज0